

# अकादमी सूचना मैनुअल

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 (1)(बी) के प्राविधानों के अनुसार प्रकाशित

माह अगस्त, 2025 तक की स्थिति के अनुसार  
अद्यतन



डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,  
आर्डवैल कैम्प, मल्लीताल, नैनीताल-263001  
फोन: 05942-235011, 236068, 236149

## अकादमी सूचना मैनुअल

### अनुक्रमणिका

(माह अगस्त, 2025 तक अद्यतन)

मैनुअल	अधिनियम का विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-प्रथम	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	1-20
अध्याय-द्वितीय	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	21-60
अध्याय-तृतीय	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	61-64
अध्याय-चतुर्थ	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	65-67
अध्याय-पंचम	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	68-
अध्याय-षष्ठम	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	69-75
अध्याय-सप्तम	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	76
अध्याय-अष्टम	अकादमी के निर्देशन एवं कार्य संचालन हेतु गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण व इनकी बैठकों में जनता की पहुंच	77-79
अध्याय-नवम्	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	80-84
अध्याय-दशम	अकादमी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक परिलब्धियाँ व विनियम यथा उपबंधों में प्रतिकर प्रणाली	85-87
अध्याय-ग्यारह	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	88-89
अध्याय-बारह	अकादमी के सहायकी कार्यक्रम, निष्पादन की रीति, आवंटित राशि और फायदाग्राहियों का विवरण	90
अध्याय-तेरह	अकादमी द्वारा प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की स्थिति	91-92
अध्याय-चौदह	अकादमी में इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित व उपलब्ध सूचना	93
अध्याय-पन्द्रह	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों की उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण के घंटे सम्मिलित है।	94-97
अध्याय-सोलह	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टियाँ	98